भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-927
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा

927. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेषकर करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, श्रमबल में महिलाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) तमिलनाडु में श्रमबल में महिलाओं की उद्योग-वार संख्या कितनी है;
(ग) देश में महिला उद्यमियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में कार्य कर रही महिलाओं की जिला-वार संख्या कितनी है; और
(ङ) संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में तमिलनाडु सहित 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की उपलब्ध सीमा तक सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर महिला श्रम बल भागीदारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर रखा गया है।

(ख) एवं (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, 20.07.2021 को पोर्टल पर कुल 6,28,447 महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई पंजीकृत हैं। 1 जुलाई 2020 से पूर्व, उद्योग आधार ज्ञापन के माध्यम से एमएसएमई पंजीकरण किया गया। 20.07.2021 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई तथा उद्योग आधार ज्ञापन के तहत पंजीकृत (स्थापना से, 30.06.2021 तक) का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध II और III पर दिया गया है।

(घ): 20.07.2021 को, उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार, तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र में कुल 1265688 महिलाएं कार्यरत हैं। जिला-वार विवरण अनुबंध-IV पर दिया गया है।

(ड.): सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी, सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

अनुबंध-I

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 927 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति) के अनुसार महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) आयु समूह: 15 वर्ष और उससे अधिक

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**2019-20 (पीएलएफएस)**
1	आंध्र प्रदेश	39.2
2	अरुणाचल प्रदेश	22.9
3	असम	16.4
4	बिहार	9.5
5	छत्तीसगढ	53.1
6	दिल्ली	16.1
7	गोवा	28.2
8	गुजरात	31.1
9	हरियाणा	15.7
10	हिमाचल प्रदेश	65.0
11	झारखंड	35.7
12	कर्नाटक	33.8
13	केरल	31.9
14	मध्य प्रदेश	37.7
15	महाराष्ट्र	38.7
16	मणिपुर	29.9
17	मेघालय	45.7
18	मिजोरम	37.0
19	नागालैंड	43.0
20	उड़ीसा	33.1
21	पंजाब	23.7
22	राजस्थान	38.6
23	सिक्किम	59.4
24	तमिलनाडु	40.2
25	तेलंगाना	44.3
26	त्रिपुरा	24.2
27	उत्तराखंड	31.8
28	उत्तर प्रदेश	17.7
29	पश्चिम बंगाल	24.0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	35.9
31	चंडीगढ़	20.4
32	दादरा और नगर हवेली	52.3
33	दमन और दीव	35.8
34	जम्मू और कश्मीर	37.4
35	लद्दाख	51.1
36	लक्षद्वीप	29.7
37	पुड्डुचेरी	31.6
	अखिल भारतीय	30.0

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2019-20
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 927 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंरभ से उद्यम पंजीकरण के तहत कुल पंजीकृत महिला एमएसएमई					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल पंजीकृत एमएसएमई
1	आंध्र प्रदेश	16143	919	60	17122
2	अरुणाचल प्रदेश	253	12	3	268
3	असम	4201	185	7	4393
4	बिहार	19892	201	26	20119
5	छत्तीसगढ	5130	224	13	5367
6	गोवा	1390	38	3	1431
7	गुजरात	47510	2182	95	49787
8	हरियाणा	15664	1058	58	16780
9	हिमाचल प्रदेश	2361	114	6	2481
10	झारखंड	7212	153	5	7370
11	कर्नाटक	36049	1417	90	37556
12	केरल	17133	568	34	17735
13	मध्य प्रदेश	16810	764	36	17610
14	महाराष्ट्र	153478	3437	223	157138
15	मणिपुर	4238	19	2	4259
16	मेघालय	230	14	3	247
17	मिजोरम	516	5	0	521
18	नागालैंड	304	1	0	305
19	उड़ीसा	9898	363	9	10270
20	पंजाब	17507	653	30	18190
21	राजस्थान	35726	1693	82	37501
22	सिक्किम	127	5	0	132
23	तमिलनाडु	86240	2981	179	89400
24	तेलंगाना	28034	1023	72	29129
25	त्रिपुरा	328	16	0	344
26	उत्तर प्रदेश	37789	1347	96	39232
27	उत्तराखंड	5125	192	9	5326
28	पश्चिम बंगाल	12249	798	48	13095
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	554	12	2	568
30	चंडीगढ़	1083	54	3	1140
31	दादर और नगर हवेली	387	31	1	419
32	दमन और दीव	172	14	1	187
33	दिल्ली	16426	1098	91	17615
34	जम्मू और कश्मीर	3823	107	3	3933
35	लद्दाख	90	3	0	93
36	लक्षद्वीप	7	0	0	7
37	पुदुचेरी	1289	78	10	1377
	अखिल भारतीय	**605368**	**21779**	**1300**	**628447**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 927 के भाग (ख) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आंरभ से 30/06/2020 तक उद्योग आधार ज्ञापन के तहत कुल पंजीकृत महिला एमएसएमई					
क्र.सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल पंजीकृत एमएसएमई
1	आंध्र प्रदेश	86358	11267	161	97786
2	अरुणाचल प्रदेश	221	108	14	343
3	असम	4882	500	18	5400
4	बिहार	78648	2840	56	81544
5	छत्तीसगढ	8020	1171	46	9237
6	गोवा	1260	320	12	1592
7	गुजरात	90449	9668	206	100323
8	हरियाणा	29522	3438	72	33032
9	हिमाचल प्रदेश	2096	474	16	2586
10	झारखंड	13266	1392	36	14694
11	कर्नाटक	58787	9002	245	68034
12	केरल	25424	2491	74	27989
13	मध्य प्रदेश	161008	6333	125	167466
14	महाराष्ट्र	294010	24148	610	318768
15	मणिपुर	10404	998	6	11408
16	मेघालय	859	52	2	913
17	मिजोरम	1102	240	6	1348
18	नागालैंड	475	97	1	573
19	उड़ीसा	13881	2084	49	16014
20	पंजाब	30347	2731	43	33121
21	राजस्थान	67902	6280	135	74317
22	सिक्किम	183	57	2	242
23	तमिलनाडु	171988	15736	337	188061
24	तेलंगाना	43429	13676	188	57293
25	त्रिपुरा	1013	86	1	1100
26	उत्तर प्रदेश	79734	7095	170	86999
27	उत्तराखंड	8835	764	31	9630
28	पश्चिम बंगाल	29009	2446	100	31555
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	850	151	7	1008
30	चंडीगढ़	1571	222	3	1796
31	दादर और नगर हवेली	490	137	3	630
32	दमन और दीव	428	81	5	514
33	दिल्ली	22522	3709	133	26364
34	जम्मू और कश्मीर	684	165	6	855
35	लद्दाख	6	2	0	8
36	लक्षद्वीप	15	3	0	18
37	पुदुचेरी	2291	351	4	2646
	अखिल भारतीय	**1341969**	**130315**	**2923**	**1475207**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 927 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरंभ से उद्यम पंजीकरण के तहत तमिलनाडु राज्य में जिला-वार कुल महिला रोजगार		
क्र.सं.	**जिला**	**महिला**
1	अरियालुर	3820
2	चेंगलपट्टू	4408
3	चेन्नई	244563
4	कोयंबटूर	117801
5	कुड्डालोर	23152
6	धर्मपुरी	17713
7	डिंडीगुल	26059
8	इरोड़	44062
9	कल्लाकुरिची	1016
10	कांचीपुरम	68645
11	कन्याकुमारी	27440
12	करूर	20023
13	कृष्णागिरी	30130
14	मदुरै	50741
15	मलियादुथुराई	428
16	नागपट्टिनम	11990
17	नमक्कली	29619
18	पेरम्बलुर	2731
19	पुदुक्कोट्टई	9768
20	रामनाथपुरम	5445
21	रानीपेट	1368
22	सलेम	53586
23	शिवगंगा	8988
24	तेनकासी	1291
25	तंजावुर	22517
26	नीलगिरीश	10269
27	थेनी	11246
28	तिरुवल्लुर	58631
29	तिरुवरुर	5502
30	तिरुचिरापल्ली	31547
31	तिरुनेलवेली	19038
32	तिरुपट्टू	941
33	तिरुपूर	150484
34	तिरुवन्नामलाई	11625
35	तूतीकोरिन	21314
36	वेल्लोर	45534
37	विल्लुपुरम	18011
38	विरुधुनगर	54242
	कुल	**1265688**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय।